R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड IX ◆ अंक 7
जनवरी 2013

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

डेबिट कार्ड जारी करने हेतु दिशानिर्देश

बैंकों को को-ब्रांडेड डेबिट कार्डों सहित डेबिट कार्ड भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लिए बिना जारी करने के लिए आम अनुमति प्रदान की गई है। तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जारी किए जा रहे डेबिट कार्ड निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन हैं:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति

बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से को-ब्रांडेड डेबिट कार्डों सहित डेबिट कार्ड जारी करने की एक व्यापक नीति बनानी चाहिए तथा इस नीति के अनुसार अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करना चाहिए। डेबिट कार्ड बचत खाता/चालू खाता धारक ग्राहकों को जारी किए जाने चाहिए, नकदी ऋण/ऋण खाता धारकों को नहीं।

डेबिट कार्डों का प्रकार

बैंक को-ब्रांडेड डेबिट कार्डों सहित केवल ऐसे ऑन-लाइन डेबिट कार्ड ही जारी करने चाहिए जिनमें ग्राहकों के खाते से तुरंत डेबिट होता है और जिनमें स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग होता है।

ऑफ-लाइन डेबिट कार्ड

अब से बैंकों को ऑफ-लाइन डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। जो बैंक वर्तमान में ऑफ-लाइन डेबिट कार्ड जारी कर रहे हैं, वे अपने ऑफ-लाइन डेबिट कार्ड परिचालनों की समीक्षा करें और 12 दिसंबर 2012 से 6 माह की अवधि के भीतर ऐसे कार्डों का परिचालन बंद कर दें। तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को ऑन-लाइन डेबिट कार्ड अपनाए जाने के बारे में समुचित रूप से सूचित किया जाता है। ऑफ-लाइन कार्डों को बंद किए जाने तक कार्डों में संचित बकाया शेष/खर्च न किए गए शेष आरक्षित अपेक्षाओं की गणना के अधीन होंगी।

बैलेंस पर ब्याज का भुगतान

ब्याज का भुगतान समय-समय पर जारी होने वाले ब्याज दर संबंधी निदेशों के अनुसार होना चाहिए।

नियम/शर्तें

- कोई भी बैंक किसी ग्राहक को बिना मांगे कार्ड प्रेषित नहीं करेगा, सिवाय ऐसे मामले के जिसमें कार्ड ग्राहक द्वारा पहले से धारित किसी कार्ड के एवज में हो।
- बैंक तथा कार्डधारक का संबंध संविदात्मक होगा।
- प्रत्येक बैंक कार्ड धारकों को लिखित रूप में संविदात्मक नियमों एवं शर्तों का एक सेट उपलब्ध कराएगा जो ऐसे कार्डों के जारी करने एवं उनके प्रयोग पर लागू होगा। इन शर्तों में संबंधित पक्षों के हितों के संबंध में उचित संतुलन बरता जाएगा।
- शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाएंगी।
- शर्तों में विभिन्न प्रभारों के आधार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, लेकिन किसी समय लगने वाले प्रभारों की राशि विनिर्दिष्ट करना जरूरी नहीं है।
- शर्तों में उस अवधि को विनिर्दिष्ट किया जाए जिसके भीतर सामान्य तौर पर कार्ड धारक के खाते से डेबिट किया जाएगा।
- बैंक शर्तों में बदलाव कर सकता है, लेकिन परिवर्तन की पर्याप्त अग्रिम सूचना कार्डधारक को दी जाएगी ताकि यदि वह चाहे तो संविदा से संबंध-विच्छेद कर सके।
- इन शर्तों में ऐसे संपर्क केंद्र को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जहां ऐसी सूचना दिन या रात में किसी भी समय दी जा सकेगी।
- इन शर्तों में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि किसी कार्डधारक को किसी प्रणालीगत खराबी के कारण हुई प्रत्यक्ष हानि के लिए, जो बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, बैंक उत्तरदायी होगा। तथापि, भुगतान प्रणाली के तकनीकी रूप से खराब हो जाने के कारण हुई किसी क्षति के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा यदि प्रणाली के खराब होने की जानकारी उपकरण के डिसप्ले पर किसी संदेश द्वारा या किसी अन्य माध्यम से कार्डधारक को दी गयी हो। लेनदेन पूरा न होने या गलत लेनदेन होने की स्थिति में बैंक की जिम्मेदारी शर्तों पर लागू होने वाले कानून के प्रावधानों के अधीन मूलधन राशि तथा नुकसान हुए ब्याज तक सीमित है।

नकदी आहरण

भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त किए बिना किसी भी सुविधा के अंतर्गत बिक्री स्थल (पीओएस) पर डेबिट कार्डों के माध्यम से किसी प्रकार के नकदी लेनदेन की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
डेबिट कार्ड जारी करने हेतु दिशानिर्देश	1
पीसीएफ़सी के विस्तार के लिए स्वैप सुविधा	2
कार्पोरेट बांडों के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर संशोधित दिशानिर्देश	3
कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो पर संशोधित दिशानिर्देश	3
रुपए में मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड	3
शाखा बैंकिंग	
विशेष जमा योजना 1975 - ब्याज का भुगतान	3
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति	4

सुरक्षा

(i) बैंक डेबिट कार्ड की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। डेबिट कार्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी तथा सुरक्षा में चूक होने या सुरक्षा प्रणाली के फेल होने के कारण किसी पक्ष को होनेवाली हानि का वहन बैंक को करना होगा।

(ii) परिचालनों को ढूंढ़ा जा सके तथा त्रुटियों में सुधार किया जा सके इसके लिए (कालबाधित मामलों के लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए) बैंक पर्याप्त समयावधि तक आंतरिक अभिलेखों को बनाए रखेंगे।

(iii) कार्डधारक को लेनदेन पूरा करने के बाद रसीद के रूप में तुरंत या समुचित समयावधि के भीतर पारंपरिक बैंक विवरणी जैसे किसी अन्य रूप में लेनदेन का लिखित रिकार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) कार्डधारक कार्ड के खोने, चोरी होने या उसकी नकल बनाए जाने की सूचना बैंक को देने तक हुई हानि का वहन करेगा, किन्तु केवल एक निश्चित सीमा (जिस पर बैंक तथा कार्डधारक के बीच पहले से ही लेनदेन के प्रतिशत या एक निश्चित राशि के रूप में समझौता हुआ होगा) तक ही करेगा सिवाय ऐसे मामले को छोड़कर जहां कार्डधारक ने कपटपूर्ण रीति से, जानबूझकर या अत्यधिक लापरवाही से कार्य किया हो।

(v) प्रत्येक बैंक ऐसे साधन मुहैया कराएगा जिनसे ग्राहक दिन या रात के किसी भी समय अपने भुगतान साधनों के खोने, चोरी हो जाने या उसकी नकल बनाए जाने के संबंध में सूचना दे सके।

(vi) कार्ड के खोने, चोरी हो जाने या उसकी नकल बनाए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर बैंक ऐसी सभी संभव कार्रवाइयां करेगा जिनसे कार्ड का आगे प्रयोग न किया जा सके।

(vii) खो गए/चोरी हो गए कार्डों के दुरुपयोग की घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से, बैंक कार्डधारक के फोटो के साथ या समय-समय पर विकसित होने वाली किसी अन्य उन्नत युक्तियों का प्रयोग करके कार्ड जारी करने पर विचार कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड

अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड का जारी किया जाना समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत जारी निदेशों के अधीन होगा।

शिकायतों का निवारण

बैंक ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली शुरू करें। बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया और शिकायतों पर कार्रवाई शुरू करने हेतु निर्धारित समय-सीमा की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर दी जाए। बैंक की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण कार्यपालकों तथा बैंक के शिकायत निवारण अधिकारी के नाम, पदनाम, पता और संपर्क हेतु दूरभाष नंबर दर्शाया जाए।

को-ब्रांडिंग व्यवस्था

बैंकों द्वारा जारी किए गए को-ब्रांडेड डेबिट कार्ड उपरोक्त के साथ-साथ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होंगे:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति

को-ब्रांडिंग व्यवस्था बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होनी चाहिए। इस नीति में विनिर्दिष्ट रूप से, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम सहित, इस प्रकार की व्यवस्था से जुड़े विभिन्न जोखिमों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिए तथा जोखिम कम करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

पर्याप्त सावधानी

बैंकों को चाहिए कि ऐसे कार्ड जारी करने के लिए वे जिन गैर-बैंकिंग संस्थाओं से गठबंधन करने के इच्छुक हों, उन संस्थाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतें, ताकि ऐसी व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम से वे स्वयं को सुरक्षित कर सकें। किसी वित्तीय संस्था से गठबंधन प्रस्तावित होने पर बैंक यह सुनिश्चित करें कि उस संस्था को उसके विनियामक से इस तरह का गठबंधन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त है।

आउटसोर्सिंग

कार्ड जारी करने वाला बैंक को-ब्रांडिंग पार्टनर के सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

गैर-बैंक संस्था की भूमिका

गठबंधन व्यवस्था के अंतर्गत गैर-बैंक संस्था की भूमिका कार्डों के विपणन/वितरण तक या दी जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं की उपलब्धता कार्डधारक को प्रदान करने तक ही सीमित होनी चाहिए।

गोपनीयता

कार्ड जारी करने वाले बैंक को खाता खोलते या कार्ड जारी करते समय प्राप्त की गई ग्राहक से संबंधित किसी सूचना को प्रकट नहीं करना चाहिए तथा को-ब्रांडिंग गैर-बैंकिंग संस्था को ग्राहक के खातों के ऐसे किन्हीं ब्यौरों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए जिससे बैंक की गोपनीयता के उत्तरदायित्वों का उल्लंघन हो सकता हो।

पीसीएफसी के विस्तार के लिए स्वैप सुविधा

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी मुद्रा में वृद्धिशील पोतलदान पूर्व निर्यात ऋण (पीसीएफसी) के समर्थन के लिए 21 जनवरी, 2013 से अमेरिकी डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा शुरू की गयी है। अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के साथ स्वैप की सीमा तक रुपया पुनर्वित्त प्राप्त करने का विकल्प होगा। नई स्वैप सुविधा की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

(ए) अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को स्वैप सुविधा 3/6 महीनों के स्थाई अवधि के लिए 21 जनवरी, 2013 से 28 जून, 2013 तक उपलब्ध रहेगी। किसी विशेष महीने के दौरान स्वैप के माध्यम से रिज़र्व बैंक से अधिकतम अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त करने की बैंकों की पात्रता सीमा के अधीन आधार दर (30 नवंबर, 2012) के संदर्भ में वितरित वृद्धिशील पीसीएफसी के बराबर होगी। पात्र प्रत्येक बैंक को सीमाओं के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। वास्तविक उपयोग और अन्य संगत कारकों के आधार पर इन सीमाओं की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी।

(बी) स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत, एक बैंक अपनी पात्र स्वैप सीमा तक रिज़र्व बैंक से अमेरिकी डॉलर खरीद सकता है और साथ ही उसे अमेरिकी डॉलर अग्रिम की उस राशि की उसी अवधि के स्वैप के लिए वर्तमान बाजार दरों पर स्वैप की शर्त के अनुसार बिक्री कर सकता है। स्वैप अवधि की समाप्ति पर, बैंक रिज़र्व बैंक से रुपये के लिए अमेरिकी डॉलर का विनिमय करेगा। स्वैप के मूल्यनिर्धारण के संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इसमें किसी बदलाव/संशोधन के किसी अनुरोध को सुना नहीं जाएगा।

(सी) स्वैप की सुविधा का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले बैंकों को अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरियों से विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे वास्तव में, पिछले महीने (महीनों) के दौरान पात्र वृद्धिशील पीसीएफसी वितरित कर चुके हैं।

(डी) स्वैप सुविधा का परिचालन वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई द्वारा किया जाएगा। वर्तमान बाजार परिस्थितियों के आधार पर, रिज़र्व बैंक बाजार परिस्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए परिचालन के दिन, किसी विशेष दिन को इस सुविधा का लाभ उठाने वाली बैंकों की संख्या, किसी विशेष दिन को रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के साथ की जाने वाले स्वैप की अधिकतम राशि

और किसी विशेष दिन को प्रत्येक बैंक द्वारा किए जाने वाले स्वैप की अधिकतम मात्रा पर निर्णय करने के लिए अधिकार का उपयोग करेगा।

(ई) जो बैंक विशेष निर्यात उधार पुनर्वित्त सुविधा के तहत पुनर्वित्त का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपेक्षित वचन पत्र और घोषणा पत्र के साथ रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई से संपर्क कर सकते हैं, जिस घोषणा पत्र में यह दर्शाया गया हो कि उन्होंने स्वैप सुविधा का लाभ उठा लिया है और मांग की गई पुनर्वित्त की राशि स्वैप सुविधा के तहत बकाया स्वैप राशि से अधिक नहीं है। वचन पत्र के साथ पूरी तरह से पीसीएफसी के तहत पात्र निर्यात बिलों का होना आवश्यकता होगा।

विशेष निर्यात पुनर्वित्त सुविधा के तहत प्राप्त पुनर्वित्त पर लगाए गए ब्याज की रुपया दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत वर्तमान रिपो दर होगी, जो वर्तमान में 8.0 प्रतिशत है।

यह सुविधा 21 जनवरी, 2013 से 28 जून, 2013 तक उपलब्ध है। वर्तमान स्पये निर्यात उधार पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।

कार्पोरेट बांडों के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर संशोधित दिशानिर्देश

बाज़ार से प्राप्त प्रतिसूचना और मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों पर तकनीकी सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि :

- सूचीबद्ध कंपनी बांडों के अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से अलग मुद्दों पर भी असूचीबद्ध परंतु श्रेणीबद्ध बांडों पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) की अनुमति दी जाए।
- उपयोगकर्ताओं को यह अनुमति दी जाए कि वे अपने सीडीएस द्वारा खरीदी गयी मुद्रा को मूल संरक्षण बिक्रीकर्ता के साथ पारस्परिक करार योग्य अथवा फिम्मडा मूल्य पर अनवाइंडिंग कर सकते हैं। यदि कोई भी करार नहीं होता है, तो अनवाइंडिंग मूल संरक्षण बिक्रीकर्ता के साथ फिम्मडा दर पर किया जाए ।
- वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्रों जैसी एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों और संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य बाध्यताओं के रूप में एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर सीडीएस की अनुमति दी जाए।

कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो पर संशोधित दिशानिर्देश

बाज़ार प्रतिसूचना और मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों पर तकनीकी सलाहकार समिति के सुझावों को ध्यान में लेते हुए यह निर्णय लिया गया है कि :

- कार्पोरेट ऋण में रिपो की अनुमति एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पेपरों, जमा प्रमाणपत्रों और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर रिपो की अनुमति दी जाए; और
- पहले चरण के व्यापार की तारीख को मौजूदा कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य पर लागू न्यूनतम मार्जिन (हेयरकट) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

श्रेणी निर्धारण	एएए	एए+	एए
वर्तमान न्यूनतम मार्जिन	10%	12%	15%
संशोधित न्यूनतम मार्जिन	7.5%	8.5%	10%

उपरोक्त न्यूनतम निर्धारित मार्जिन हैं जहाँ रिपो अवधि रातभर की है अथवा जहाँ रिमार्जिनिंग की बारंबारता (दीर्घावधि रिपो के मामले में) दैनिक आधार पर है । अन्य सभी मामलों में सहभागियों को चाहिए कि वे उचित उच्चतर मार्जिन अपनाएँ ।

रुपए में मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड

भारत में रुपए में मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्डों को जारी करने के लिए बैंकों को आम अनुमति दी गई है। इस संबंध में नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है -

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति

को-ब्रांडिंग व्यवस्था बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होनी चाहिए। इस नीति में विनिर्दिष्ट रूप से, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम सहित, इस प्रकार की व्यवस्था से जुड़े विभिन्न जोखिमों से संबंधित मुद्दों के समाधान तथा जोखिम कम करने हेतु उपयुक्त उपायों का उल्लेख होना चाहिए।

पर्याप्त सावधानी

बैंकों को चाहिए कि ऐसे कार्ड जारी करने के लिए वे जिन गैर-बैंकिंग संस्थाओं से गठबंधन करने के इच्छुक हों, उन संस्थाओं के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतें, ताकि ऐसी व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम से वे स्वयं को सुरक्षित कर सकें। किसी वित्तीय संस्था से गठबंधन प्रस्तावित होने पर बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस संस्था को उसके विनियामक से इस तरह का गठबंधन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त है।

आउटसोर्सिंग

कार्ड जारी करने वाला बैंक को-ब्रांडिंग पार्टनर के सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा। बैंकों को 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचरण संहिता तथा जोखिम प्रबंधन' पर 3 नवंबर, 2006 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

गैर-बैंक संस्था की भूमिका

गठबंधन व्यवस्था के अंतर्गत गैर-बैंक संस्था की भूमिका कार्डों के विपणन/वितरण तक या दी जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं की उपलब्धता कार्डधारक को प्रदान करने तक ही सीमित होनी चाहिए।

गोपनीयता

कार्ड जारी करने वाले बैंक को खाता खोलते या कार्ड जारी करते समय प्राप्त की गई ग्राहक से संबंधित किसी सूचना को प्रकट नहीं करना चाहिए तथा को-ब्रांडिंग गैर-बैंकिंग संस्था को ग्राहक के खातों के ऐसे किन्हीं ब्यौरों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए जिससे बैंक की गोपनीयता के उत्तरदायित्वों का उल्लंघन हो सकता हो।

ब्याज का भुगतान

पहले की ही तरह प्री-पेड भुगतान कार्डों को अंतरित किए गए शेष पर कोई ब्याज न दिया जाए।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित प्री-पेड कार्ड का जारी किया जाना, को-ब्रांडिंग व्यवस्थाओं सहित, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

शाखा बैंकिंग

विशेष जमा योजना 1975 - ब्याज का भुगतान

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि विशेष जमा योजना (एसडीएस) खाताधारकों को कैलेंडर वर्ष 2012 के लिए ब्याज का, 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए 8.6% प्रतिवर्ष एवं 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 2012 की अवधि के लिए 8.8% प्रतिवर्ष की दर पर इलेक्ट्रानिक माध्यम यथा ईसीएस/ एनईसीएस/एनईएफटी/ आरटीजीएस या लेखा आदाता चेक के माध्यम से तत्परता से 1 जनवरी 2013 को ही भुगतान करें।

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-जीपीओ में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति

ए) कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाएं

कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत अंतिम उपयोग के रूप में बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। डेवलपर/बिल्डर कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा ले सकते हैं। कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों के भावी (संभावित) स्वामियों को वित्तपोषित करने के लिये आवास वित्त कंपनियां/राष्ट्रीय आवास बैंक भी बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

कम लागत वाली सस्ती आवास योजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:-

पात्र परियोजना की परिभाषा

बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के प्रयोजनार्थ कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजना वह परियोजना होगी जिसमें अनुमत एफएसआई का कम से कम 60 प्रतिशत उन यूनिटों के लिए हो जिनका अधिकतम कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर तक हो।

मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास परियोजनाएं भी कम लागत वाली सस्ती आवास योजनाओं के अंतर्गत इसके लिए पात्र होंगी।

पात्र उधारकर्ता

डेवलपर/बिल्डर

कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने हेतु डेवलपर/बिल्डर की पात्रता निम्नानुसार होगी :

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी हो;

(ii) आवासीय परियोजनाओं के कार्य में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो और निर्माण गुणवत्ता तथा सुपुर्दगी के मामले में अच्छा ट्रैक रेकार्ड हो;

(iii) बैंक/वित्तीय संस्था अथवा किसी अन्य एजेंसी के प्रति किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के बाबत चूककर्ता न रहे हों;

(iv) विवादित परियोजना न लें;

(v) परियोजना संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान/विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना का ले आउट आवास परियोजनाओं के लिए शहर और ग्राम योजना विभाग द्वारा भूमि के उपयोग संबंधी विनिर्देशन के अनुरूप होना चाहिए; तथा

(vi) भूमि के उपयोग / पर्यावरण की अनुमति आदि के संबंध में राजस्व विभाग सहित विभिन्न निकायों (संस्थाओं) से सभी आवश्यक स्वीकृतियां रिकार्ड में उपलब्ध होनी चाहिए।

आवास वित्त कंपनियां

आवास वित्त कंपनियां कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों के भावी (संभावित) स्वामियों को वित्तपोषित करने के लिये बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठा सकती हैं बशर्ते कि :-

(i) आवास वित्त कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत होनी चाहिए और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी विनियामक निर्देशों के अनुसार परिचालित होनी चाहिए;

(ii) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए;

(iii) विगत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां (एनओएफ) 300 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए;

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्फत ली गई उधार राशि आवास वित्त कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों के 16 गुने की समग्र उधार सीमा के भीतर होनी चाहिए;

(v) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां निवल अग्रिमों के 2.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(vi) किसी एक क्रेता व्यक्ति को अधिकतम ऋण 25 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के भीतर स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते एक आवास यूनिट की लागत 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी; और

(vii) पूर्ण हेज आधार पर, संपूर्ण परिपक्वता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि रुपए में स्वैप की जाएगी।

एकल उधारकर्ताओं की कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों की लागत के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र होगा। यदि कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजना के डेवलपर/बिल्डर उपर्युक्त परिकल्पना के अनुसार सीधे बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने में विफल होता है तो उपरोक्त विनिर्दिष्ट मानदण्ड पूरे करने वाले ऐसे डेवलपर को उधार देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इस मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर विन्यास का पालन किया जाता है।

अंतिम उपयोग

बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग केवल कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए और उसका उपयोग भूमि के अधिग्रहण के लिए नहीं किया जाए।

नोडल एजेंसी

पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाला बिल्डर/डेवलपर विनिर्दिष्ट फार्मेट में राष्ट्रीय आवास बैंक को आवेदन करेगा। कम लागत वाले सस्ते आवास की परियोजना होने की पात्रता निश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी का कार्य राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा, और संतुष्ट होने पर, आवेदनपत्र अनुमोदन मार्ग के तहत विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्रेषित करेगा। आवेदनपत्र रिज़र्व बैंक के विचारार्थ प्रेषित करने का एक बार निर्णय ले लेने पर राष्ट्रीय आवास बैंक भावी(संभावित) उधारकर्ता (बिल्डर/डेवलपर) को सूचित करेगा कि वह अपने प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने हेतु मंजूरी के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करे।

डेवलपरों/बिल्डरों/आवास वित्त कंपनियों/राष्ट्रीय आवास बैंक को इस योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) जारी करके राशि प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

बी) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ

इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों (आइएफसी) को बकाया बाह्य वाणिज्य उधारों सहित, स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) लेने के लिए उनकी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों (आइएफसी) द्वारा उनकी स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत से ऊपर के बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) लेने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा एवं इसे अनुमोदन मार्ग के तहत समझा जाएगा।

मुद्रा जोखिमों हेतु एक्स्पोज़र की 100 प्रतिशत हेजिंग संबंधी अपेक्षा को घटाकर उसे एक्स्पोज़र की 75 प्रतिशत तक कर दिया जाए।

सी) होटल क्षेत्र में भारतीय कंपनियां

होटल क्षेत्र (कुल ₹ 250 करोड़ अथवा उससे अधिक राशि की परियोजना लागत वाले) में भारतीय कंपनियों को उनके भौगोलिक स्थान को ध्यान में रखे बिना घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए ऋण (ऋणों) की बकाया रुपये ऋण राशि के भुगतान के लिए और/अथवा नए रुपये पूंजी व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। प्राधिकृत व्यापारियों को रिज़र्व बैंक को बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए आवेदन प्रेषित करते समय परियोजना लागत प्रमाणित करनी चाहिए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।